



राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 90/अजमेर/.....1997-98

प्रभुदासी सिस्टर्स एजुकेशन सोसायटी
यह प्रमाणित किया जाता है कि
अजमेर अजमेर
जिला का

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
दिनांक 14 फ़रवरी 1998 माह 14 फ़रवरी सन् एक हजार नौ सौ अठ्ठानवे
को अजमेर में किया गया।

एन.के.ओ. मौर्य

रजिस्ट्रार संस्थान,
अजमेर 305001

H. Jany
President
Prabudasi Sisters Edu. Society
Ajmer (Raj.)